ISSN No. 2394-5990

राजश्री शाहू महाराज परिवर्तन का आरंभ

प्रा. शहेनाज अ.रफीक देशमुख
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, सोनई
Email- anisadeshmukh5@gmail.com
Contact number-9373723060

प्रस्तावना :

भारत के गौरव शाली इतिहास में महाराष्ट्र के कोल्हापुर रियासत में 26 जून 1874 को बहुजन-श्रमण परंपरा में ऐसे राजा हुए हैं, जिनका राज्य सचमुच में न्याय और जनता के कल्याण की स्थापना के लिए था और जिन्होंने वर्ण-जाति व्यवस्था एवं इस पर आधारित भेदभाव को मिटाने के लिए अपना जीवन लगा दिया। ऐसे ही महान राजा छत्रपती शाहू महाराज थे। वे एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने ज्योतीराव फुले के सत्यशोधक समाज के विचारों को प्रत्यक्ष में साकार कर दिया। शाहु महाराज ने 2 जुलाई 1894 में कोल्हापुर रियासत की राजगद्दी संभाली । रियासत में समानता और न्याय लाने का प्रयास आरंभ किया । छत्रपती शाहु महाराज राजा होते हुए उनके विचार राजतांत्रिक विरोधी और लोकतांत्रिक थे । जब तक जाति का विनाश नहीं होंगा तब तक न्याय और समता स्थापित नहीं होंगी । वे विचारो से ही नहीं बल्कि नीतियों से, कानून लागु करने से भी आधुनिक थे । राजा बनते ही उन्होंने राज्य और समाज पर ब्राह्मणों के वर्चस्व को खत्म करने की शुरूआत कर दी।महाराष्ट्र में छत्रपती शाहु महाराज का कार्य अतुलनीय है। उन्हें सम्पूर्ण महाराष्ट्र सदैव याद रखेगा । महाराष्ट्र की सामाजिक स्थिति उच्च स्तर पर ले जाने में उन्होंनें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।

भारतीय आरक्षण के जनक :

छत्रपती शाहु महाराज ने 26 जुलाई 1902 को भारतीय इतिहास में वह काम कर दिखाया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शाहू महाराज ने चितपावन ब्राह्मणों के प्रबल विरोध के मध्य 26 जुलाई को अपने राज्य कोल्हापुर की शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों में दलित-पिछड़ों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया। यह आधुनिक भारत में जाति के आधार पर मिला पहला आरक्षण था। इस कारण शाहू आधुनिक आरक्षण के जनक कहलाये। परवर्तीकाल में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने शाहू जी द्वारा लागू किये गए आरक्षण का ही विस्तार भारतीय संविधान में किया। संविधान में दलितों के लिए आरक्षण तो लागू हो गया, लेकिन ओबीसी जातियों के लिए आरक्षण भविष्य पर छोड़ दिया गया। जब कि शाहू जी ने अपने राज्य में आर्थिक पिछड़ों और दलितों दोनों के लिए आरक्षण लागू किया था। भारत में पिछडे या ओबीसी जातियों को आरक्षण आजादी के करीब 45 वर्षों बाद 16 नवंबर 1992 को मिला। यानी शाहू जी द्वारा आरक्षण लागू करने के 90 वर्ष बाद।

1894 में जब शाहू जी महाराज राजा बने थे, उस समय कोल्हापुर राज्य के अधिकांश पदों पर चितपावन ब्राह्मणों का कब्जा था। जब शाहू महाराज ने राज्य की बागडोर संभाली थी, उस समय कोल्हापुर के सामान्य प्रशासन में कुल 71 पदों में से 60 पर ब्राह्मण अधिकारी नियुक्त थे। इसी प्रकार लिपिक के 500 पदों में से मात्र 10 पर गैर-ब्राह्मण थे।शाहु महाराज ने देखा की जिनकी आबादी इतनी कम है वही लोग अधिकतर पदों पर अपना कब्जा जमाए बैठे है । 26 जुलाई 1902 को शाहू जी महाराज द्वारा पिछड़ी जातियों को 50 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने के कारण 95 पदों में से ब्राह्मण अधिकारियों की संख्या अब 35 रह गई थी। तत्कालीन समाज में इस प्रकार का कानून लाना अपने आप में चुनौती था। यही कार्य शाहु महाराज ने किया जिस कारण उन्हे काफी विरोध सहना पड़ा ।

समग्र शिक्षा के प्रणेता :

समाज में न्याय और समता स्थापित करनी है तो इसका एकमेव हथियार शिक्षा है । शिक्षा के बिना दलित और पिछड़ी जाती का विकास नही होंगा । इसी सोच को अपनाते हुए उन्होने 'शिक्षा सुधार समिती' का गठन किया । शिक्षा के संबंध में न्या. महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉ. रामकृष्ण गोपाल भांडारकर आदि का परामर्श लिया। इन सभी विचारों को प्रत्यक्ष में लाते हुए 25 जुलाई 1917 को प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बना दिया। इसके पहले 1912 में ही उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया

था। अगर कोई छात्र घर पर रहता है तो उससे दंड लिया जाता था । परिणाम स्वरूप छात्रों की संख्या बढने लगी । 500 से 1000 तक की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव, कस्बे में स्कूल देने का आदेश छत्रपती शाहु महाराज ने निकाला । स्त्री-शिक्षा के फुले दंपत्ति के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। स्त्रियों को मुफ्त शिक्षा देने वाले वह पहले राजा थे ।इसी का परिणाम कह सकते है कि भारत को आनंदीबाई जोशी जैसी पहली महिला डॉक्टर मिली।

पाटिल स्कूलों का निर्माण :

स्वराज्य के अधिकरत गाँव के प्रशासन में पाटिल और कुलकर्णी अपनी मुख्य भूमिका निभाते थे । जिसमे कुलकर्णी पढे-लिखे थे । वही सभी पाटिल पढे-लिखे नही थे । पाटिल गाँव के तलाठी के साथ मिलकर गाँव के लोगे की समस्या परभारतीय हिंदू संस्कृति में और महाराष्ट्र के धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन पर ब्राह्मणों का वर्चस्व और नियंत्रण कायम हो गया था। इस वर्चस्व और नियंत्रण को तोड़ने के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण, नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के साथ ही शाहू महाराज ने धार्मिक प्रभुत्व को भी तोड़ने का निर्णय लिया। 9 जुलाई 1917 को उन्होंने एक आदेश जारी किया कि कोल्हापुर राज्य के समस्त देवस्थानों की आय और संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण होगा। इसके साथ ही उन्होंने मराठा (पिछड़ी) जाति के पुजारियों की नियुक्ति का भी आदेश जारी किया। 1920 में उन्होंने पूजा और पुरोहितों के प्रशिक्षण के लिए विद्यालय खुलवाया। इसका परिणाम यह हुआ की उन्हें यहां पर विरोध का सामना करना पड़ा।

स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार :

11 नवंबर 1920 को ही शाहू महाराज ने एक हिंदू कोड बिल पास किया था । इस बिल के माध्यम से उन्होंने संपत्ति के उत्तराधिकार के संदर्भ में मिताक्षरा न्याय सिद्धांत को समाप्त कर दिया। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। इसकी मूल बात यह है कि स्त्री को संपत्ति में उत्तराधिकार नहीं मिल सकता संपत्ति के संदर्भ में स्त्री पर तरह-तरह की शर्तें और प्रतिबंध लगाये गये हैं। उन्होंने इन सभी का विरोध करके स्त्रियाँ को संपत्ति में अधिकार दिलवाया । डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने इसी कोड बिल की पृष्ठभूमि पर अपना कोड बिल बनाया था।

अस्पृश्यता निवारण का प्रयास :

छत्रपती शाहू महाराज ने अस्पृश्यता निवारण का ना सिर्फ विचार किया बल्कि उसे वास्तव में लाने के लिए प्रयास भी किया । इसका स्वयं से प्रयास किया। उन्होने अपने दरबार में विभिन्न जाती समुदाय के लोगों को नियुक्त किया था । उसी में एक था नारायण कांबले । नारायण कांबले ने एक दिन महल के तालाब से पानी पी लिया इसलिए उसे महल के अधिकारी ने पिटा और अपमानित करते हुए उसे निकाल दिया जब शाहू महाराज को इस घटना की खबर खबर चली तब स्वयं उन्होने उसे पैसे देकर गाँव के चौराहे पर चाय की दुकान डालने का परामर्श दिया । कांबले ने चाय की दुकान डालने के बाद स्वयं उसके दुकान में चाय पीने गए। वहां चाय की चुसकी लेते हुए कांबले से कहा तुम्हने अपने दुकान पर नाम क्यो नहीं डाला।ह्व कांबले ने जवाब में कहा की नाम के पास क्या रखा है। शाहू महाराज कहते है 'लगता है की तू सम्पूर्ण शहर का धर्म भ्रष्ट करके ही मानोगे।' यह घटना भले ही आज सामान्य लगती हो लेकिन तत्कालीन समाज में अछूत के दुकान पर चाय जाकर पीना अपने आप में बड़ी बात थी। अछूतों (दलितों) को समाज में बराबरी का हक दिलाने और उनकी स्थिति में सुधार के लिए शाहू जी ने अन्य विशेष कदम भी उठाये। 1919 से पहले अछूत कहे जाने वाले समाज के किसी भी सदस्य का इलाज किसी अस्पताल में नहीं हो सकता था। 1919 में शाहू जी ने एक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार अछूत समाज का कोई भी व्यक्ति अस्पताल आकर सम्मानपूर्वक इलाज करा सकता है। इसके अलावा उन्होंने 1919 में ही यह आदेश भी जारी किया कि प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेजों में जाति के आधार पर छात्रों के साथ कोई भी भेदभाव न किया जाय। उन्होंने दलितों को नौकरियों में जगह देने के साथ ही इस बात का आदेश दिया कि सरकारी विभागों में कार्य कर रहे दलित जाति के कर्मचारियों के साथ समानता और शालीनता का बर्ताव किया जाय। किसी प्रकार का छुआछूत नहीं होना चाहिए। जो अधिकारी इस आदेश का पालन न करने के इच्छुक हों, वे 6 महीने के भीतर त्यागपत्र दे दें। शिवाजी महाराज की गुलामगिरी के खिलाफ स्वतंत्रता की लढाई थी वही शाहू महाराज की जातिवादी शक्ती के खिलाफ लढाई थी। शाहू महाराज कहते है की ब्राहमनोत्तरों की ये लढाई प्राण जाने तक ये शाहू नहीं छोड़ेंगा ।''

दलितों की दशा में बदलाव लाने के लिए उन्होंने दो ऐसी विशेष प्रथाओं का अंत किया जो युगांतकारी साबित हुई। पहला, 1917 में उन्होंने उस 'बलूतदारी-प्रथा' का अंत किया, जिसके तहत एक अछूत को थोड़ी-सी जमीन देकर बदले में उससे और उसके परिवार वालों से पूरे गाँव के लिए मुफ्त सेवाएं ली जाती थीं। इसी तरह 1918 में उन्होंने कानून बनाकर राज्य की एक और पुरानी प्रथा 'वतनदारी' का अंत किया तथा भूमि सुधार लागू कर महारों को भू-स्वामी बनने का हक़

ISSN No. 2394-5990

दिलाया। इस आदेश से महारों की आर्थिक गुलामी काफी हद तक दूर हो गई। दलित हितैषी कोल्हापुर नरेश ने 1920 में नासिक में दलितों की विशाल सभा में सगर्व घोषणा करते हुए कहा था-'मुझे लगता है आंबेडकर के रूप में तुम्हें तुम्हारा मुक्तिदाता मिल गया है। मुझे उम्मीद है वो तुम्हारी गुलामी की बेड़ियाँ काट डालेंगे।'[2] उन्होंने दलितों के मुक्तिदाता की महज जुबानी प्रशंसा नहीं की बल्कि उनकी अधूरी पड़ी विदेशी शिक्षा पूरी करने तथा दलित-मुक्ति के लिए राजनीति को हथियार बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किया। 4 सितम्बर 1921 को डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ने एक पत्र के द्वारा शाहू महाराज से कुछ पैसों की माँग की और कहा की नोकरी लगने के पश्चात वह पुरे पैसे लोटा देंगे । इसका जवाब देते हुए शाहू महाराज ने कहा कि अगर आपके पत्नी को भी पैसे की आवशकता हो तो वह भी बेझीझक पैसे मांगे । समय पड़ने पर उन्होनें डॉ. आंबेडकर की सहायता की है ।

सारांश रूप में हम कह सकते है कि छत्रपती शाहु महाराज राजा होते हुए भी समाज के लिए उन्होनें जो कार्य किया था वह सभी दृष्टी से आधुनिक था । उन्होनें आजीवन समाज के जाति-पाती के बंधन को दूर करने का प्रयास किया है। समाज में परिवर्तन लाना है तो उसकी पहल किसी को करनी चाहिए। लेकिन शाहु महाराज परिवर्तन का आरंभ स्वयं से करते थे। छत्रपती शाहु महाराज के विचार इतने आधुनिक थे की स्वतंत्र भारत होने के पश्चात उनके द्वारा बनाए गए कानून लागू किए गए । इसलिए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने शाहु महाराज को 'सामाजिक प्रजातंत्र का आधारस्तंभ' कहा है ।'[3]

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. लोकराज्य मासिक पत्रिका -अंक 3, सितंबर 2018, पृष्ठ क्र. 11
2. वही, पृष्ठ क्र. 15
3. वही, पृष्ठ क्र. 12
4. महाराष्ट्रातील समाज सुधारनेचा इतिहास - भिडे, पाटिल, थोरात, फड़के प्रकाशन,ऑक्टोंबर 2005
5. महाराष्ट्रातील परिवर्तनचा इतिहास इ. स. 1818 ते 1960- प्रा. गणेश राऊत, प्रा. ज्योती राऊत- डायमंड पब्लिकेशन, डिसेंबर 2009

■■■